भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

1-15 नवम्बर 2020

इस्लामिक आतंकवाद के बचाव हेतु देश के मुसलमान मैदान में

- मदरसों पर पाबंदी पर विवाद
- यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद पसार रहा है अपने पांव
- बहरीन के साथ इजरायल के राजनयिक संबंध
- झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

इस्लामिक आतंकवाद के बचाव हेतु देश के मुसलमान मैदान में 04
भीम आर्मी प्रमुख की मौलाना अरशद मदनी से रहस्यमयी मुलाकात 08
लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी 10
मदरसों पर पाबंदी पर विवाद 13
हिन्दू धर्म और संस्कृति अल्पसंख्यकों पर लादने का आरोप 15
दारोगा के दाढ़ी रखने पर विवाद 17

विश्व

यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद पसार रहा है अपने पांव 19
बांग्लादेश में बलात्कारी को मौत की सजा 24
काबुल विश्वविद्यालय में आतंकवादी हमला 25
तुर्की में विद्रोही सैनिक गिरफ्तार 26
पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ 11 विपक्षी दलों का मोर्चा 27

पश्चिम एशिया

फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक जगत को एकजुट करने के प्रयासों को झटका 28
बहरीन के साथ इजरायल के राजनयिक संबंध 32
कतर को अमेरिकी जहाज बेचने का विरोध 33
इजरायल और इस्लामिक आतंकवादी संगठन के बीच समझौता 34
उमरा की शुरुआत 34
ईरान-सऊदी विवाद 35

अन्य

मंदिर में नमाज पढ़ने वाले गिरफ्तार 36
हिन्दू युवक ने इस्लामिक स्टडी में मैदान मारा 37
वक्फ बोर्ड के अरबों रुपये के प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास 37
दिल्ली दंगों के आरोपियों को जमीयत-ए-उलेमा द्वारा बचाने का अभियान 38
झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला 39

सारांश

यूरोपीय देशों में इस्लामिक आतंकवाद की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। मानवीय सहानुभूति के चलते इन देशों ने जिन मुस्लिम शरणार्थियों को कभी अपने यहां शरण दी थी अब वे उनके लिए दिन-प्रतिदिन सिरदर्द बनते जा रहे हैं। जब तक मुसलमानों की जनसंख्या इन देशों में कम थी वे दबे-दबे से रहे और स्थानीय ईसाई आबादी के लिए कोई समस्या नहीं बने। मगर जैसे-जैसे उनकी संख्या में वृद्धि हुई उन्होंने स्थाई निवासियों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। विश्लेषकों का अनुमान है कि यह समस्या भविष्य में और भी जटिल रूप ले सकती है। पिछले कुछ दिनों में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में इस्लामिक आतंकवाद ने जिस तरह से खून की होली खेली है उसके कारण कई देशों को इस बात के लिए कानून बनाने पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ा है कि इन उत्पाती तत्वों को उनके देश में प्रवेश करने से कैसे रोका जाए?

फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे के लिए जब सख्त कदम उठाने की घोषणा की तो उनका यह रूख मुस्लिम देशों को पसंद नहीं आया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुस्लिम एकता का राग अलापना शुरू कर दिया। मगर अमेरिका ने उनकी इस योजना में पलीता लगा दिया। अब तक चार अरब देश इजरायल को मान्यता प्रदान कर चुके हैं। इनमें मिस्र, जॉर्डन, सुंयक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल हैं। सऊदी अरब भले ही कुछ भी दावे करे मगर वह अमेरिका को नाराज करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि सुंयक्त अरब अमीरात के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने खुलकर फ्रांस का समर्थन किया है।

जहां तक भारतीय मुसलमानों का संबंध है, उन्होंने एक स्वर में यूरोप में उभर रहे इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन किया है। उन्होंने भारत सरकार पर भी इस बात के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वह इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहे फ्रांस का समर्थन करना बंद करे। देश में रैलियों और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और उसे उर्दू अखबार बढ़-चढ़कर हवा दे रहे हैं। यह जनाक्रोश कभी भी भारत सरकार के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

मोदी सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है उसे मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत-ए-उलेमा ने ठुकरा दिया है। जमीयत ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों पर हिन्दू धर्म और संस्कृति को जबरन लादने का प्रयास कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि भारत में मुसलमानों को जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह दुनिया के किसी भी देश में नहीं है।

असम सरकार ने सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं को बंद करने का जो फैसला किया है उसके खिलाफ मुस्लिम नेता काफी मुखर हो गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार संविधान की भावना का उल्लंघन करते हुए उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। इस संदर्भ में असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा के इस कथन में काफी दम है कि सेक्युलर सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए जनता से इक्ट्ठे किए गए करों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम संगठन बिना सरकारी अनुदान के मदरसे स्थापित करता है तो उसे इसकी अनुमति है।

राष्ट्रीय

इस्लामिक आतंकवाद के बचाव हेतु देश के मुसलमान मैदान में

यूरोप में जो इस्लामिक आतंकवाद तेजी से फैल रहा है उसके समर्थन में देश के सभी मुस्लिम नेता और लगभग सभी उर्दू समाचारपत्र खुलकर मैदान में आ गए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि देश के मुसलमान नेता और समाचारपत्र मोदी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह फ्रांस से संबंध विच्छेद कर ले और फ्रांस को इस्लामिक आतंकवाद का सामना करने के मामले पर समर्थन देना तुरंत बंद करें। इस समय देश भर में एक खतरनाक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है जो किसी समय भी विस्फोटक रूप ले सकता है। विचित्र बात यह है कि मुस्लिम समाज ने फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में इस्लामिक जिहादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याओं की निंदा में एक शब्द तक नहीं कहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 नवंबर 2020) के अनुसार देश के बहुचर्चित शायर मुनव्वर राणा ने वह बयान वापस लेने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने फ्रांस के निर्दोष लोगों की हत्याओं को उचित ठहराया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे मां-बाप के खिलाफ अश्लील कार्टून छापता है तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा और यह पूर्णत: जायज होगा। लखनऊ में मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है जिस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने जो कहा है उसे किसी कीमत पर वापस नहीं लूंगा। अगर मुझे जेल में भेजा जाता है तो मैं वहां मरना पसंद करूंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास जो कलम है वह सच लिखने के लिए है, पजामे में नाडा डालने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दीपक पांडे नामक दारोगा ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं किसी को नहीं

जानता। मगर मुझे मालूम हुआ है कि वह हाई स्कूल में नकल करके पास होने वाला दारोगा है। मुनव्वर राणा ने कहा था कि पैगम्बर के कार्टून के मुद्दे पर जिस तरह से हत्या की गई है वह जायज है। ज्ञातव्य है कि एक अध्यापक सैम्युल पैटी ने एक फ्रांसीसी समाचारपत्र में प्रकाशित हजरत मोहम्मद का कार्टून अपनी कक्षा में दिखाया था। इससे उत्तेजित होकर चेचन्या से आए एक मुस्लिम छात्र ने इस अध्यापक का चाकू से सिर कलम कर दिया।

फ्रांस के क्रूर हत्यारों के समर्थन में भोपाल और मुंबई में मुसलमानों के विशाल जलसे हुए जिसमें भारत सरकार से मांग की गई कि वह फ्रांस से अपने संबंध विच्छेद कर ले। इन जलसों में अध्यापक की हत्या का खुलकर समर्थन किया गया। भोपाल में प्रदर्शन का आयोजन कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने किया, जिसमें लाखों मुसलमान एकत्रित हुए। इन रैलियों के बाद देश भर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों के खिलाफ प्रदर्शनों और रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है जो कि अभी तक जारी है। देश का लगभग प्रत्येक उर्दू समाचारपत्र खुलकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। उर्दू अखबारों के प्रत्येक अंक में इस संदर्भ में दर्जनों समाचार और उत्तेजक लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज ने 31 अक्टूबर के अंक में एक संपादकीय लिखा है जिसका शीर्षक है 'भारत और फ्रांस एक प्लेटफॉर्म पर'। इस संपादकीय में फ्रांस का समर्थन करने पर मोदी सरकार की निंदा की गई है और कहा गया है कि फ्रांस की हिमायत में मोदी सरकार के बयान पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इस सरकार के लिए हर वह बात जो मुसलमानों का दिल दुखाए काबिल-ए-कुबूल है। हिंदुत्ववादी लोगों की नजर में इस देश की हर वह राजनीतिक पार्टी जो खुद को सेक्युलर कहती है, वह मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनकी नजर में वास्तविक सेक्युलरिज्म तो बस हिन्दुत्व है। हिन्दुत्व का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जहां धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं। यहां गैर हिन्दुओं को दूसरे या तीसरे दर्जे या फिर चौथे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह सब खुलेआम हो रहा है। लेकिन जब दुनिया को चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ती है तो मोदी सरकार जोर-शोर से सेक्युलरिज्म का नारा लगाती है और यह दावा किया जाता है कि मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। फ्रांस के मामले में तो भारत पर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि वह उसका समर्थन करता। मामला फ्रांस और मुसलमानों का था लेकिन मोदी सरकार ने फ्रांस का समर्थन सारी दुनिया पर यह जाहिर करने के लिए किया है कि वह सेक्युलर और लोकतंत्र का विश्व चैंपियन है। जबकि फ्रांस लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म का पूरी तरह उल्लंघन कर रहा है।

सच्चाई तो यह है कि भारत और फ्रांस दोनों देश धार्मिक उग्रवाद की मार्ग पर चल रहे हैं। भले ही वे इसे लोकतंत्र या सेक्युलरिज्म का नाम दें। गुस्ताख कार्टूनों को बार-बार छापना और उसका नमुाइश करना कहां का सेक्युलरिज्म हो गया? यह तो नफरत की अभिव्यक्ति और प्रचार है। क्योंकि भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है

इसलिए भारत का फ्रांस के साथ खड़े होना आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले छह वर्षों में हम यह देख चुके हैं और सारी दुनिया भी यह देख चुकी है कि भारत में सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र के नाम पर मस्जिद छीनी गई। मदरसों पर बिजली गिराई गई, शरियत को खेल बना दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति जो घृणित इरादा लेकर आज उठे हैं उस पर तो हमारे यहां कब से अमल हो रहा है। अगर भारत को वाकई लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की चिंता होती तो वह भी इन कार्टूनों की निंदा करता।

अखबार-ए-मशरिक (1 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि गुस्ताख रसूल फ्रांसीसी अध्यापक की कत्ल के समर्थन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का यह कहना कि फ्रांस को पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद का कार्टून बनाने का हक है इससे पूरे मुस्लिम जगत में भूचाल मच गया है। पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हजारों लोगों ने ढाका में मार्च किया और फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में हजारों बैनर नजर आए जिनमें लिखा हुआ था कि मैक्रों दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रों के पुतले फूंके और उनकी तस्वीर के गले में जूते का हार पहनाया गया। मुंबई में भी लोगों ने मैक्रों के गले में जूतों का हार पहनाकर प्रदर्शन किया। लेबनान में भी प्रदर्शन हुआ। अल-अक्सा की मस्जिद में हजारों प्रदर्शनकारी इक्ट्ठे हुए और उन्होंने पैगम्बर-ए-इस्लाम के कार्टूनों के पुनः प्रकाशन की निंदा की। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे जिस कौम का लीडर मोहम्मद हो उसे कोई नहीं हरा सकता। मस्जिद अल-अक्सा के नमाजियों को संबोधित करते हुए इमाम ने कहा कि फ्रांस में जो हिंसा हो रही है उसके एकमात्र जिम्मेवार फ्रांस के राष्ट्रपति हैं।

इजरायल अधिकृत फिलिस्तीन के क्षेत्र में हजारों फ्रांसीसी झंडे जलाए गए। हमास की ओर से गाजा में फ्रांस विरोधी रैलियों का आयोजन किया गया जिसमें नारे लगाए गए। हम अपनी जान व खून से अपनी नबी की हिफाजत करेंगे। हिन्दुस्तान में सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबु कासिम नुमानी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह फ्रांस की खुलकर निंदा करे और रसूल की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ कानून बनाए। नुमानी ने कहा कि मुस्लिम देशों के संगठन की यह जिम्मेवारी है कि वे दुनिया भर के मुस्लिम देशों को एक मंच पर फ्रांस के खिलाफ इक्ट्ठा करें। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ्रांस का राष्ट्रपति पागल हो गया है इसलिए उसे अपना दिमागी इलाज करवाने की जरूरत है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने यह घोषणा की है कि मुसलमानों को यह हक है कि वे फ्रांसीसियों को सजा दें और उनका कत्ल करें।

हमारा समाज (30 अक्टूबर) ने मेवात के पांच मुस्लिम नेताओं का एक वक्तव्य प्रकाशित किया है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान की निंदा की गई है और मोहम्मद का अपमान करने वाले की हत्या को जायज ठहराया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 अक्टूबर) ने एक संपादकीय प्रकाशित किया है जिसमें अरब देशों द्वारा फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करने का समर्थन किया गया है और कहा है कि मैक्रों ने पैगम्बर-ए-इस्लाम के अपमान को जायज करार देकर दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं पर चोट की है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होकर फ्रांस को इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। समाचारपत्र ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को फ्रांस का मुकाबला करने वाले तुर्की का डटकर साथ देना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि फ्रांस जानबूझकर मुसलमानों को हिंसा का मार्ग अपनाने के लिए उकसा रहा है।

सियासत (28 अक्टूबर) ने अपने संपादकीय में दुनिया भर के मुसलमानों और मुस्लिम देशों से अनुरोध किया है कि वे फ्रांस की इस्लाम विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। समाचारपत्र ने कहा है कि फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसके बहुत भयंकर नतीजे होंगे। समाचारपत्र ने तुर्की को फ्रांस से संबंध विच्छेद करने पर बधाई दी है। समाचारपत्र ने दुनिया के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने विरोध का प्रदर्शन करने के लिए फ्रांस का बहिष्कार करें।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अक्टूबर) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार रजा एकेडमी के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद सईद नूरी ने दुनिया भर के इस्लामिक देशों से अपील की है कि वे फ्रांस का विरोध करें और फ्रांसीसियों का बहिष्कार करें। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित 30 अक्टूबर के अंक में एक समाचार में मोईन मियां ने भारत सरकार से अपील की है कि फ्रांस के समर्थन में दिए गए अपने बयान को वह वापस ले। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक फ्रांस तौबा करके दुनिया के मुसलमानों से माफी नहीं मांगता और हम यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाएंगे। क्योंकि फ्रांस जानबूझकर दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर उसने फ्रांस समर्थक नीति में तुरंत कोई परिवर्तन नहीं किया तो कोई भी रसूल का प्रेमी हिंसा का मार्ग अपना सकता है और उसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से दोषी होगी। फ्रांस में मुसलमानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इंकलाब (3 नवम्बर) ने अपने सम्पादकीय में फ्रांस के राष्ट्रपति को यह धमकी दी है कि विश्व का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। 180 करोड़ मुसलमान दुनिया भर में फैले हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी को नाराज करके कोई देश जिंदा नहीं रह सकता। समाचारपत्र ने राष्ट्रपति मैक्रों से यह मांग की है कि वे अपने पद से फौरन त्यागपत्र दे दें। उनके खिलाफ विश्वभर के मुसलमान उठ खड़े हुए हैं और वे इनकी नाराजगी को झेल नहीं सकेंगे। समाचारपत्र ने दावा किया है कि कोरोना की महामारी का सामना करने में फ्रांस के राष्ट्रपति विफल रहे हैं। राष्ट्रपति को हवा के रूख को पहचानकर हजरत मोहम्मद के कार्टून बनाने वालों को फौरन जेल भेज देना चाहिए और भविष्य में ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति

अभिव्यक्ति के नाम पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत न कर सके।

अखबार-ए-मशरिक (29 अक्टूबर) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख नुमानी ने कहा है कि विश्व में जिस तरह से इस्लाम का प्रचार हो रहा है उससे यूरोप के देश परेशान हैं और इसलिए वे इस्लाम विरोधी नीति पर चल रहे हैं। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री महमूद मदनी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह फ्रांस का समर्थन बंद करे और उससे सभी प्रकार के संबंधों का विच्छेद करे।

इंकलाब ने 22 अक्टूबर के संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से चेचन्या के एक मुस्लिम नौजवान को आतंकवादी घोषित कर दिया है और इसका बदला लेने की घोषणा की है वह घोर निंदनीय है। एफिल टॉवर के समीप दो मुस्लिम महिलाओं की चाकुओं से हत्या किए जाने की घटना ईसाई आतंकवाद का जीता जागता नमूना है। मगर फ्रांस के राष्ट्रपति इसे आतंकवाद की संज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका यह रवैया मुस्लिम विरोधी होने का प्रमाण है।

इंकलाब ने 2 नवम्बर के अंक में 12 समाचार प्रकाशित किए हैं जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा की गई है।

इंकलाब (30 अक्टूबर) ने शिया नेता कल्बे जवाद नकवी का एक बयान प्रकाशित किया गया है जिसमें उन्होंने हजरत मोहम्मद का अपमान करने की निंदा की है और यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम देश क्योंकि आपस में उलझे हुए हैं इसी कारण इस्लाम और पैगम्बर को निशाना बनाने की हिम्मत लोगों की हो रही है।

इंकलाब के 31 अक्टूबर के अंक में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ 12 समाचार प्रकाशित किए गए हैं जिनमें विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख है।

भीम आर्मी प्रमुख की मौलाना अरशद मदनी से रहस्यमयी मुलाकात

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार भीम आर्मी के प्रमुख चन्द्रशेखर रावण ने देवबंद पहुंचकर जमीयत-ए-उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से उनके निवास स्थान पर दो घंटे तक रहस्यमयी मुलाकात की। जब इस मुलाकात की खबर स्थानीय पत्रकारों को मिली तो वे मदनी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मगर इन दोनों नेताओं ने इस मुलाकात के बारे में कोई भी विवरण बताने से साफ इनकार कर दिया। जब पत्रकारों ने चन्द्रशेखर रावण से बार-बार इस संदर्भ में पूछा तो उसने कहा कि वे केवल मौलाना का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास आए थे। अरशद मदनी ने भी पत्रकारों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से

इनकार कर दिया। ज्ञातव्य है कि भीम आर्मी के प्रमुख की आजाद समाज पार्टी बिहार विधानभा के चुनाव में भाग ले रही है।

टिप्पणीः मुस्लिम संगठन लम्बे समय से दलितों और खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा सरकार के खिलाफ बनाने का प्रयास काफी दिनों से कर रहे हैं। इस मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। गत वर्ष जमीयत-ए-उलेमा जिसे कांग्रेस की बी टीम बताया जाता है ने 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था जिसमें दलित समाज का विशेष रूप से सहयोग लिया गया था। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में इन दोनों की ओर से संयुक्त सभाओं का आयोजन करके यह दावा किया गया था कि क्योंकि अल्पसंख्यक और वंचित बहुसंख्या में हैं इसलिए उन्हें संयुक्त रूप से सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करना चाहिए।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि साठ के दशक में कुख्यात तस्कर हाजी मस्तान ने भी दलित-मुस्लिम महासंघ बनाया था, जिसका संरक्षक फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार (युसूफ खान) को बनाया गया था। मगर तत्कालीन सरकार ने जब इस कुख्यात तस्कर के खिलाफ विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई शुरू की तो महासंघ को राष्ट्रव्यापी रूप देने का मंसूबा मिट्टी में मिल गया। 80 के दशक में फिर एक बार जमात-ए-इस्लामी की ओर से मुस्लिम मजलिस मुशावरात का गठन सैयद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में किया गया था। इसमें 16 मुस्लिम संगठनों के भागीदार होने का दावा किया गया था। मगर अंतर्विरोधों के कारण यह प्रयास भी विफल रहा और मजलिस मुशावरात अनेक भागों में खंडित हो गई।

जहां तक जमीयत-ए-उलेमा का संबंध है, इसका गठन खिलाफत आंदोलन के सिलसिले में मौलाना आजाद और रेश्मी रूमाल तहरीक के प्रमुख मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी आदि कांग्रेसी मुसलमानों ने किया था। देश के विभाजन के बाद जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री मौलाना हफीजुर्रहमान कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा की शोभा बढ़ाते रहे। उन्हें पंडित नेहरू और मौलाना आजाद का विश्वस्त माना जाता था। उनके निधन के बाद जमीयत-ए-उलेमा की बागडोर मौलाना असद मदनी ने सम्भाली जो कि कांग्रेस के टिकट पर 24 वर्षों तक राज्यसभा की शोभा बढ़ाते रहे। उनके निधन के बाद जमीयत-ए-उलेमा का विभाजन हो गया। एक गुट की कमान असद मदनी के पुत्र मौलाना महमूद मदनी ने संभाली। जबकि दूसरे गुट की कमान असद मदनी के सौतेले भाई अरशद मदनी के हाथ लगी जो कि दारूल उलूम देवबंद में अध्यापन कार्य भी करते हैं। हाल ही में कुछ मुस्लिम नेताओं के प्रयास से इन दोनों गुटों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास भी चल रहा है।

जहां तक चन्द्रशेखर रावण का संबंध है, वे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के दलित नेता हैं। उन्होंने पहले अम्बेडकर आर्मी बनाई थी जिसे बाद में भीम आर्मी का नाम दिया गया। इस संगठन की स्थापना 2015 में कुछ दलित नेताओं जैसे- सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चन्द्रशेखर रावण ने की थी। दलित राजनीति में चन्द्रशेखर को मायावती का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। उनका दावा है कि उनकी सेना में 20 हजार से अधिक दलित शामिल हैं। यह सेना शुरू से ही स्वर्ण जातियों के हिन्दुओं और विशेष रूप से राजपूतों को अपना निशाना बनाती रही है। चन्द्रशेखर ने यह घोषणा की है कि वे भाजपा के खिलाफ मुसलमानों के सहयोग से एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। चन्द्रशेखर कुछ वर्ष पूर्व तब मीडिया में चर्चा में आए थे जब उन्होंने हरियाणा के गोहाना के एक गांव में दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ रामलीला मैदान में धरना देने वालों का खुलकर समर्थन किया था। 2017 में उन्होंने जंतर-मंतर पर एक विशाल रैली का आयोजन भी किया था।

अगस्त 2019 में जब डीडीए ने तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ध्वस्त कर दिया तो उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। दिसंबर 2019 में चन्द्रशेखर ने राजनीति में भाग लेने की घोषणा की थी और कहा था कि उनका लक्ष्य भाजपा से सत्ता छीनना है। खास बात यह है कि जब भाजपा सरकार ने फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया तो उसके खिलाफ देशभर में मुसलमानों ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसमें भी चन्द्रशेखर और उनके संगठन ने सक्रिय भाग लिया। जामा मस्जिद के इमाम के साथ उन्होंने जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 15 मार्च, 2020 को उन्होंने अपना एक नया राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी बनाने का फैसला किया और यह दावा किया कि उनकी पार्टी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के अनेक नेता शामिल हुए हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के भाजपा के साथ जिस ढंग से रिश्ते सुधरे हैं उसको देखते हुए चन्द्रशेखर रावण के दलित राजनीति में उभरने की संभावना बढ़ गई है।

लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी

देश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के कारण अनेक राज्य सरकारें इनको रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं। ताजा घटना दिल्ली के समीप हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई जब एक मुस्लिम नौजवान ने एक हिन्दू युवती को इसलिए दिनदहाड़े सरेआम गोलियों से भून दिया क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करके उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था। खास बात यह है कि हाथरस की घटना पर दर्जनों समाचार प्रकाशित करने वाले उर्दू मीडिया ने इस घटना का उल्लेख तक करना उचित नहीं

समझा। उर्दू मीडिया ने शायद एक सुनियोजित नीति के तहत इस समाचार का बहिष्कार किया।

हिन्दी अखबार **दैनिक हिन्दुस्तान** (28 जून) के अनुसार 20 वर्षीय निकिता तोमर जब अग्रवाल कॉलेज से घर जा रही थी तो उसे कार में सवार दो व्यक्तियों ने रोका और धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से इनकार करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जब मीडिया और सोशल मीडिया में इस हत्याकांड पर हंगामा मचा तो हरियाणा पुलिस ने हत्यारे तौफीक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे पिस्तौल सप्लाई करने वाले व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया। जनाक्रोश को शांत करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का निर्णय किया है। समाचारपत्र ने यह भी लिखा है कि तौफीक निकिता का स्कूल में सहपाठी था और तभी से वह एकतरफा प्यार में पागल था। 2018 में भी वह लड़की का अपहरण करके ले गया था जिसका केस बल्लभगढ़ थाने में दर्ज किया गया था। मगर बाद में राजनीतिक दबाव के कारण यह केस वापस ले लिया गया।

टिप्पणी: तौफीक मेवात के मेव परिवार से संबंधित है जो कि इस क्षेत्र का राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावी खानदान माना जाता है। इस परिवार की पृष्ठभूमि मुख्यत: कांग्रेस की रही है। तौफीक के दादा हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जबकि उसके पिता भी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। इसके एक चाचा अभी भी विधायक हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस को 2018 में दर्ज केस वापस लेना पड़ा था। तब

उस वक्त फरीदाबाद के जो पुलिस आयुक्त थे उनके भी तौफीक से पारिवारिक रिश्ते बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर पुलिस उस वक्त अपहरणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद इस लड़की की हत्या करने की हिम्मत हत्यारे की नहीं होती। मृतका के पिता ने टीवी चैनल पर यह स्वीकार किया है कि उस पर भारी दबाव डाला गया था इसलिए उसे यह केस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (2 नवंबर) के अनुसार हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार बल्लभगढ़ हत्याकांड के बाद लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लव जिहाद के द्वारा एक वर्ग पूरे देश में धर्मांतरण का अभियान चला रहा है इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है।

इंकलाब (2 नवंबर) के अनुसार निकिता हत्याकांड से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें आरोपियों को शीघ्र-अति-शीघ्र फांसी पर लटकाने की मांग की गई। इसके बाद दो गुटों में

हुई हिंसक झड़पों के कारण पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। समाचारपत्र के अनुसार महापंचायत में किसी ने फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा पर किसी ने जूता फेंका जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और हिंसा शुरू हो गई। पुलिस कमिश्नर के अनुसार इस महापंचायत के आयोजन के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि यह मामला लव जिहाद का है इसलिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

दैनिक इंकलाब (31 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे लव जिहाद के मामले पर नजर रखें ताकि समय पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसे सख्त बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस आयुक्तों को लव जिहाद के मामलों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है और कहा है कि गुप्तचर विभाग ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे ताकि भविष्य में राज्य में कानून की व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सके। राज्य सरकार धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। असम के शिक्षा मंत्री ने भी लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता प्रकट की है और इस बात का संकेत दिया है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कदम उठा रही है।

दैनिक इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम सरकार ने धोखे से शादी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। असम में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कई मुसलमान लड़के हिन्दू नामों से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर हिन्दू लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अंतरजातीय विवाहों के खिलाफ नहीं है। मगर अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करके शादी करता है तो सरकार अपनी बहनों और बेटियों को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। इस संदर्भ में कानून में आवश्यक संशोधन भी किया जा रहा है।

दैनिक इंकलाब (2 नवंबर) ने अपने संपादकीय में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की आलोचना की है। शकील शम्सी ने संपादकीय में कहा है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक मनगढ़ंत शब्द लव जिहाद को लेकर माहौल को गर्म करने में लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक धमकी दी है कि जो लोग लव जिहाद में संलिप्त पाए जाएंगे उनका 'राम नाम सत्य' कर दिया जाएगा। अर्थात् उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सच्चाई तो यह है कि देश में लव जिहाद का कोई अभियान नहीं चल रहा है और न ही कोई जांच एजेंसी आज तक इसे सिद्ध ही कर पाई है। लव जिहाद का शोशा 2009 में उस समय उठा था जब केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि 4000 हिन्दू लड़कियों को गुमराह करके उनका

धर्मांतरण किया गया है। मगर जब उच्च न्यायालय में पुलिस के महानिदेशक जैकब पुन्नूस से यह पूछा गया कि क्या धर्म परिवर्तन के पीछे कोई सुनियोजित साजिश पुलिस की जांच में उजागर हुई है तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया।

2009 में हवा बनाने के लिए 'कुर्बान' नामक एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि एक हिन्दू लड़की को एक मुसलमान प्रोफेसर अपने जाल में फंसाता है और उससे शादी करने के बाद उसे अमेरिका ले जाता है। वहां उसे यह जानकारी मिलती है कि यह मुस्लिम प्रोफेसर एक आतंकवादी है। मगर बाद में शातिर संघियों ने सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी से यह सिद्ध किया कि मुसलमान हिन्दू लड़कियों को जिहाद में इस्तेमाल करने के लिए अपने जाल में फंसाते हैं। 2010 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में फिर लव जिहाद का चर्चा सुनाई दिया। जब यह दावा किया गया कि एक संगठन ने मुसलमान युवकों को यह प्रलोभन दिया है कि अगर वे हिन्दू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने में सफल होते हैं तो उन्हें एक बड़ी धनराशि इनाम के रूप में दी जाएगी। 2014 में लव जिहाद का प्रचार उत्तर प्रदेश में भी हुआ। 2017 में लव जिहाद के दुष्प्रचार से प्रभावित होकर केरल उच्च न्यायालय ने एक हिन्दू लड़की अखिला (धर्म परिवर्तन के बाद हादिया) के माता-पिता की याचिका पर एक मुसलमान लड़के के साथ उसकी शादी को अवैध घोषित कर दिया। बाद में यह मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि कोई भी व्यस्क लड़की अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर सकती है।

संपादकीय में कहा गया है कि हिन्दू समाज में जिस तरह से दहेज प्रथा चल रही है और यहां दहेज के रूप में 10-20 लाख रुपये चपरासी तक मांग लेता है इसलिए बहुत सी हिन्दू लड़कियां मुसलमान लड़के से इसलिए लव मैरिज कर लेती हैं ताकि उनकी शादी पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च न हो। मगर संघ परिवार अपने समाज को सुधारने के बजाय मुसलमानों के खिलाफ झूठा अभियान चला रहा है। खास बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिन्दू लड़के से शादी कर ले तो संघ वाले उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। मगर जब कोई मुसलमान लड़का किसी हिन्दू लड़की से शादी करता है तो उन्हें देश की एकता खतरे में नजर आने लगती है।

मदरसों पर पाबंदी पर विवाद

असम सरकार ने इस वर्ष के फरवरी महीने में यह फैसला किया था कि राज्य में चल रहे सभी संस्कृत विद्यालयों और सरकारी मदरसों को बंद कर दिया जाए क्योंकि किसी विशेष धर्म की संस्था को प्रोत्साहन देना भारतीय संविधान की भावाना के खिलाफ है।

अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स (14 अक्टूबर) के अनुसार असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा देना संविधान की भावना और धारा 29 के खिलाफ है। हालांकि धारा 30 में अल्पसंख्यकों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे अपने शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इस सरकारी फैसले के बाद किसी भी हिन्दू संस्थान ने संस्कृत विद्यालयों को बंद किए जाने का विरोध नहीं किया। मगर मुस्लिम संगठनों ने इस सरकारी फैसले का जबर्दस्त विरोध करना शुरू कर दिया है।

इंकलाब (21 अक्टूबर) के अनुसार कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने आरोप लगाया है कि असम के बाद अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा मदरसों को बंद करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इस बात की निंदा की है कि मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर यह आरोप लगाया है कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं और उन्होंने राज्य सरकार से इनको बंद करने का अनुरोध किया है। समाचारपत्र के अनुसार असम में भी बीजेपी की सरकार है और उसने भी वहां पर सरकारी मदरसों को बंद करने की घोषणा की है। उषा ठाकुर ने कहा था कि सारे आतंकवादी मदरसों में पले बढ़े हैं और इनके कारण जम्मू-कश्मीर आतंकवादियों की फैक्ट्री बन गया है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने राष्ट्र के हित में मदरसों को बंद करने का निर्णय किया है। सरकारी सहायता से कोई मदरसा नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर अपने खर्च से कोई मदरसा चलाता है तो संविधान में इसकी अनुमति है।

मीम अफजल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह सब बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है और यह सब उपर से हरी झंडी मिलने के बाद हो रहा है। नागरिकता कानून के मामले में भी यही हुआ और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा कह रहे हैं कि हम नागरिकता कानून को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि असम में पहले यह कहा गया कि सरकारी मदरसे बंद करेंगे और फिर उन्हें स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। मगर अब कहा गया है कि प्राइवेट मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या भारत में सिर्फ मुसलमान ही धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो अन्य धर्मों पर धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? उन्होंने कहा कि जो सरकारी मदरसे चल रहे हैं उनका पूरा खर्च सरकार नहीं देती। हां, अध्यापकों का वेतन जरूर देती है। अब जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए मुझे मुस्लिम नेताओं की इस बात में वजन नजर आता है कि मदरसों के लिए सरकारी सहायता न ली जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास इस बात का सबूत है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है तो उसे सिद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि संघ परिवार जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहा है।

इंकलाब (23 अक्टूबर) ने मदरसों पर आतंकवाद की शिक्षा देने के आरोप की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि तीन दिन पूर्व मध्य प्रदेश की मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया है कि सारे आतंकवादी मदरसों में पलते हैं। उन्होंने मदरसों को बंद करने की भी वकालत की है और यह कहा है कि बीजेपी ने असम में मदरसों को बंद करके भी दिखा दिया है। वैसे मदरसों पर भाजपा का कोप नया नहीं है। क्योंकि इसकी सारी राजनीति ही मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित है। उषा ठाकुर से कोई यह पूछे कि इस देश में आतंकवाद के आरोप में जो लोग पकड़े गए थे उनमें कितने मदरसों में पढ़े हुए थे? दलितों का उत्पीड़न करने वाले किस मदरसे में पढ़ते हैं? दरअसल सच्चाई यह है कि जब कोई राजनीतिक दल जन समस्याओं को हल नहीं कर पाता तो वह इसी तरह की बहकी-बहकी बातें जनता का ध्यान हटाने के लिए करते हैं। आज जब देश का मीडिया पूरी तरह से सरकार का चमचा बन चुका है और अधिकांश न्यूज चैनल उषा ठाकुर के झूठे आरोप को सच साबित करने में लगे हुए हैं। बीजेपी मुसलमानों का विरोध करना अपना राजनीतिक धर्म बना चुकी है। शायद उन्हें यह लगता है कि वे देश में नफरत फैलाकर ही सबका विकास कर सकते हैं।

दैनिक इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि हम प्रारम्भ से ही मदरसों के लिए किसी भी तरह की सरकारी सहायता लेने के खिलाफ रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सरकार पैसे देगी तो वह हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करेगी। इसलिए परंपरागत रूप से मदरसों को समाज की सहायता पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी इस देश के 95 प्रतिशत मदरसे सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं हैं। दारूल उलूम देवबंद जैसे संगठनों ने सरकार से कभी एक पैसे की सहायता नहीं ली। 2006 में जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था तो मैंने उसका विरोध किया था। मदरसे हमारे दीन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। हम मदरसों और मस्जिदों दोनों को सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम इस संबंध में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।

हिन्दू धर्म और संस्कृति अल्पसंख्यकों पर लादने का आरोप

हमारा समाज (25 अक्टूबर) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है- 'हमें हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा पर आधारित नई शिक्षा नीति मंजूर नहीं है'। समाचारपत्र के अनुसार यह फैसला जमीयत-ए-उलेमा की राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया है जिसकी अध्यक्षता कारी सैयद उस्मान मंसूरपुरी ने की। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि भाजपा सरकार द्वारा इस्लामिक मदरसों के खिलाफ जो अभियान

चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो जहरीला प्रचार किया जा रहा है उसका डटकर मुकाबला किया जाए। जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री महमूद मदनी ने कहा कि मदरसों को बंद करने के लिए भाजपा सरकार जो अभियान चला रही है हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। अधिवेशन में यह भी आरोप लगाया गया कि भाजपा जानबूझकर देश में साम्प्रदायिकता फैला रही है और मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में यह आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसका लक्ष्य देश के सभी नागरिकों पर हिन्दू धर्म को जबरन लादना और उन्हें हिन्दू जीवन पद्धति का गुलाम बनाना है। हिन्दू राष्ट्र के समर्थक हर कीमत पर इस देश को हिन्दू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं जिसमें गैर-हिन्दुओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीय सोच के नाम पर एकरूपता को जबरन लादा जा रहा है, जिसका एकमात्र लक्ष्य देश के सभी नागरिकों पर जबरन हिन्दू धर्म और संस्कृति को लादना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों का इस देश की आजादी और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम एक खुदा में विश्वास रखते हैं और उसे ही मानते हैं। एक ईश्वर और पैगम्बर में हमारी गहरी आस्था है। मगर अब हमें सरकार बड़े आक्रामक ढंग से इस विचारधारा से हटाने पर जुटी हुई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मुसलमानों को इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपने मॉडर्न स्कूल अधिक-से-अधिक संख्या में स्थापित करना चाहिए ताकि वह सरकार की हिन्दूवादी नीति से बच सकें।

अधिवेशन में इस बात पर दु:ख प्रकट किया गया कि इस्लामी मदरसों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान सरकारी तौर पर चलाया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी संस्था घोषित किया जा रहा है। जबकि इन मदरसों में शुरू से ही भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि देश की आजादी के आंदोलन में मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जमीयत-ए-उलेमा सरकार की हिन्दूवादी नीति का विरोध करती है और इस बात की मांग करती है कि देश के सेक्युलर ढांचे और धार्मिक आजादी को बरकरार रखा जाए। देश भर में सरकार के इस नीति के खिलाफ अभियान चलाने के लिए चार व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसके संयोजक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान होंगे। इसके अतिरिक्त इस कमेटी में मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी, मौलाना नियाज अहमद फारूकी और मौलाना कलीमुल्लाह कासमी को शामिल किया गया है। सोशल मीडिया में मुसलमानों और इस्लाम के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के निराकरण के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया है जिसके संयोजक मौलाना नियाज अहमद फारूकी होंगे। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में मौलाना सादिक उल्लाह चौधरी, मौलाना शम्सुद्दीन आदि शामिल हैं। इस बैठक में दिल्ली में हुए दंगों के बारे में भी एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि इन दंगों का संचालन बहुसंख्यक साम्प्रदायिक संगठनों ने किया था।

दारोगा के दाढ़ी रखने पर विवाद

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 अक्टूबर) के अनुसार बागपत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बार-बार आदेश देने के बावजूद दाढ़ी न मुंडवाने पर एक दारोगा इंतसार अली को निलंबित कर दिया। मगर एक सप्ताह के बाद जब उसने दाढ़ी मुंडवा ली तो उसे नौकरी पर बहाल कर लिया गया।

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए **दैनिक इत्तेमाद** (25 अक्टूबर) में स्तंभकार मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि भारतीय संविधान में जब हर व्यक्ति को अपनी धर्म के अनुसार जीवन गुजारने की अनुमति है तो फिर इस मुस्लिम दारोगा को क्यों अपनी दाढ़ी मुंडवाने पर मजबूर किया गया? हालांकि इस्लामिक शरा में मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है। दारोगा का कहना है कि उसने गत दो वर्षों में अपने अधिकारियों से बार-बार इस बात का अनुरोध किया था कि उन्हें शरा के अनुसार दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाए। मगर उनको कोई भी जवाब नहीं दिया गया। क्या इस देश में एक मुसलमान को इस बात की आजादी नहीं है कि वह अपने धर्म का अनुसरण करते हुए दाढ़ी रख सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंतसार अली दाढ़ी रखता है तो इससे पुलिस के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा? क्या वह दाढ़ी रखकर अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता? क्या इस देश में सिखों को दाढ़ी रखने की छूट नहीं है? यदि हां, तो मुसलमानों से भेदभाव क्यों

किया जा रहा है? बागपत जिले के पुलिस आयुक्त अभिषेक सिंह का कहना है कि दारोगा इंतसार अली विभाग की अनुमति के बिना दाढ़ी रख रहे थे। उन्हें कई बार दाढ़ी मुंडवाने का आदेश दिया गया था मगर इसका उन्होंने कभी पालन नहीं किया।

ज्ञातव्य है कि यह दारोगा पिछले 25 वर्ष से पुलिस में है और गत तीन वर्ष से वह बागपत थाने में दारोगा के रूप में नियुक्त है। उसने पिछले वर्ष नवम्बर महीने में अपने उच्चाधिकारी से अनुमति मांगी थी मगर उन्हें अनुमति देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ विभागीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जांच शुरू कर दी गई। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया कि वह पुलिस के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें मंदिर मौजूद न हो। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का मैनुअल इस बात की अनुमति देता है कि थाना परिसरों में मंदिरों का निर्माण किया जाए। अगर मंदिर बने हैं तो मस्जिद, गिरजाघर

और गुरुद्वारे क्यों नहीं? पुलिस और फौज में मुसलमानों के दाढ़ी रखने का मामला वर्षों से बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस संबंध में कई मुकदमें सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचे हैं मगर अभी तक इस संबंध में सरकारी नीति स्पष्ट नहीं है। क्या सिखों की तरह मुसलमानों को भी उनके धर्म के अनुसार दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए?

इंकलाब में 26 अक्टूबर के अंक में सर्वोच्च न्यायालय के वकील असद अल्वी का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से भेदभाव की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि 2009 में मोहम्मद सलीम नामक एक मुस्लिम छात्र की दाढ़ी भी चर्चा का विषय बनी थी। इसे दाढ़ी रखने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। जब यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंचा तो न्यायालय ने मोहम्मद सलीम की याचिका को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय में भी जस्टिस काटजू ने इस याचिका को खारिज कर दिया था मगर जब इस पर हंगामा हुआ तो जस्टिस काटजू ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि बाद में इस लड़के को दाढ़ी रखने की अनुमति दी गई और उसे स्कूल में दाखिल भी करवा लिया गया। इस समय मोदी मंत्रिमंडल के 58 मंत्रियों में से 18 दाढ़ी वाले हैं। 2016 में फिर दाढ़ी का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। भारतीय वायुसेना के मोहम्मद जुबैर नामक कर्मचारी ने अपने अधिकारियों से दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में जुबैर जब छुट्टी पर गया तो वापसी के समय उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उसके अधिकारियों ने उसे दाढ़ी कटवाने का आदेश दिया। जुबैर ने इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यहां पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया।

दाढ़ी रखने का एक अन्य मुकदमा गुजरात उच्च न्यायालय में शेख मोहम्मद साजिद साबरी ने किया था जो कि पुलिस में था। उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका भी खारिज कर दी थी। इससे पूर्व 1963 में केरल पुलिस के एक कर्मचारी की दाढ़ी भी चर्चा का विषय बनी। उसने दाढ़ी रख दी और अपने विभाग के अध्यक्ष से उसे रखने की अनुमति मांगी। अपनी याचिका में उसने यह तर्क दिया कि दाढ़ी कटवाना कुरान के निर्देशों के खिलाफ है। इस संदर्भ में उसने उच्च न्यायालय में हदीस का हवाला दिया जिसमें हजरत उमर ने फरमाया था कि रसूल पाक ने कहा था कि अपने आप को काफिरों से अलग दिखाने के लिए दाढ़ी रखो मगर मूछें साफ रखो। सवाल यह है कि जब कुरान और सुन्नत में मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखने का आदेश है तो भारत में मुसलमानों को दाढ़ी रखने से क्यों वंचित किया जा रहा है?

विश्व

यूरोप में इस्लामिक आतंकवाद पसार रहा है अपने पांव

कुछ दशक पूर्व जिन मुस्लिम शरणार्थियों को उनकी जान बचाने के लिए यूरोप ने दया वश अपने देशों में शरण दी थी अब वे उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं। इस्लामिक आतंकवाद ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। खास बात यह है कि इस्लामिक भाईचारे के दावेदार मुस्लिम देशों ने इन मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देशों में न तो शरण दी और न ही उन्हें नागरिकता प्रदान करने की जरूरत ही समझी। गत तीन सप्ताह में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में इस्लामिक आतंकवाद की चार घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए हैं। सरकारी तंत्र इनको रोकने में अभी तक विफल रहा है। इसका कारण यह है कि इन यूरोपीय देशों में रहने वाले मुस्लिम शरणार्थियों ने वहां की संस्कृति और मेलजोल की भावना को कभी मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया। वे स्वयं को यूरोपीय सभ्यता से अलग इस्लामिक संस्कृति के दूत समझते रहे। इसके कारण उनमें अतिवादी इस्लामिक संगठनों ने सहज में ही अपने पैर पसार लिए।

इंकलाब (18 अक्टूबर) के अनुसार फ्रांस में चेचन मूल के एक युवक ने एक फ्रांसीसी अध्यापक सैमुअल पैटी के सिर को चाकू से इसलिए सिर काट दिया गया क्योंकि उसने अपनी कक्षा में छह वर्ष पूर्व एक फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेब्दो द्वारा प्रकाशित हजरत मोहम्मद के विवादित कार्टूनों को अपने छात्रों को दिखाया था। जिस छात्र ने इस अध्यापक को मौत के घाट उतारा वह उसके स्कूल में नहीं पढ़ता था। पुलिस के अनुसार आक्रमणकारी 18 वर्षीय लड़के को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। क्योंकि वह अपने हाथों में तलवार लिए अन्य लोगों को मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस

के अनुसार आक्रमणकारी चेचन्या के मुस्लिम परिवार से संबंधित था और उसका जन्म मास्को में हुआ था। गत छह वर्षों से वह अपने परिवार सहित फ्रांस में रह रहा था। यहां वह शरणार्थी के रूप में आया था। बताया जाता है कि जिस अध्यापक की हत्या की गई वह छात्रों को इतिहास और भूगोल पढ़ाता था। इसी संदर्भ में उसने फ्रांस में अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लेख करते हुए अपने छात्रों को यह कार्टून दिखाया था। बताया जाता है कि उसने यह कार्टून दिखाने से पूर्व कक्षा में बैठे हुए सभी मुस्लिम छात्रों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यदि किसी भी छात्र को उसके द्वारा इन कार्टूनों को दिखाने पर कोई आपत्ति हो तो वह कक्षा से बाहर जा सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद कुछ मुस्लिम छात्र कक्षा से उठकर बाहर भी चले गए थे। बताया जाता है कि स्कूल प्रशासन से कुछ मुस्लिम छात्रों के परिवारजनों ने इस संदर्भ में शिकायत भी की थी और यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। मगर इसे गम्भीरता से नहीं लिया गया।

समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की शह पर इन कार्टूनों का पुन: प्रकाशन किया गया है। ज्ञातव्य है कि जब 2015 में चार्ली हेब्दो ने इन कार्टूनों को प्रकाशित किया था तो इस्लामिक आतंकवादियों ने इस पत्रिका के कार्यालय में हमला करके 15 कर्मचारियों की हत्या कर दी थी। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। गत सप्ताह एक मुस्लिम युवक ने इस पत्रिका के कार्यालय में दाखिल होकर चाकू से इस पत्रिका के स्टाफ पर हमला किया था और चार लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

बीबीसी (17 अक्टूबर) के अनुसार इस घटना के बाद पुलिस ने अतिवादी इस्लामिक संगठनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। 15 व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया जिनमें मृतक अध्यापक सैमुअल पैटी की कक्षा में पढ़ने वाले चार मुस्लिम छात्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में आक्रमणकारी का भाई, दादा और माता-पिता भी शामिल हैं। पुलिस ने सात अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इस अध्यापक के खिलाफ ऑनलाइन घृणा का अभियान चला रहे थे। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमैनिन के अनुसार पुलिस ने दो अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस अध्यापक की हत्या के लिए फतवा जारी किया था। पुलिस कुछ ऐसे लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया में इस हत्या का समर्थन किया था।

फ्रांसीसी सरकार ने दो दर्जन से अधिक मस्जिदों और इस्लामिक मदरसों को भी सील किया है जहां पर इस्लामिक आतंकवाद से संबंधित वीडियो प्रदर्शित किए जाते थे। पुलिस ने सारे देश में अतिवादी इस्लामिक समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि हत्यारा स्कूल में गया था और उसने छात्रों से इस अध्यापक के बारे में पूछा था। इसके बाद मौका पाकर उसने इस अध्यापक पर चाकुओं से हमला कर दिया और

बाद में उसकी गर्दन को तलवार से काटने के बाद अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए। पुलिस का दावा है कि जब वह इस छात्र को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी तो उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। इस पर पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी । इस घटना के तुरंत बाद राष्ट्रपति मैक्रों घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक आतंकवादी हमला है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रों ने कहा कि इस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाएं ताकि इसे विफल बनाया जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्कूल का दौरा किया और इसके स्टाफ से मुलाकात की।

समाचारपत्र के अनुसार सरकार एक कानून ला रही है जिसके अनुसार आतंकवाद की गतिविधियों में भाग लेने वाले शरणार्थियों को उनके मूल देशों में वापस भेजा जा सकेगा। पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि चेचन्या मूल के मुसलमान अतिवादी इस्लामिक संगठनों की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित करके मृतक अध्यापक को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके परिवारजनों से संवेदना भी व्यक्त की। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें देश में बढ़ते हुए आतंकवाद की निंदा करते हुए उसे सख्ती से कुचलने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 अक्टूबर) के अनुसार अभी इस घटना की स्याही भी नहीं सूखी थी कि मुस्लिम आतंकवादियों ने फ्रांस के नगर नीस में एक चर्च में घुसकर चाकू मारकर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी। मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल है, जिसमें से एक का सिर काट दिया गया था। मरने वालों में चर्च का एक प्रबंधक भी शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो कि अल्लाह हू अकबर के नारे लगा रहा था। जब हमला किया गया तो लोग गिरजाघर के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने आक्रमणकारी को हमला करते देखा तो उन्होंने एक खतरे की घंटी बजाई जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया। जब यह घटना हुई उस वक्त फ्रांस की असेंबली का अधिवेशन जारी था। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश को गम्भीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा। हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि हम हत्याओं का बदला लेंगे।

इस आतंकवादी घटना के दो दिन बाद एक इस्लामिक आतंकवादी ने गिरजाघर में घुसकर पादरी को गोली मार दी जिसकी हालत गम्भीर बताई जाती है। खास बात यह है कि इस हमले के समाचार को देश के किसी भी उर्दू समाचारपत्र ने प्रकाशित नहीं किया।

हिन्दी समाचारपत्र **दैनिक हिन्दुस्तान** (1 नवम्बर) ने इस घटना को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। फ्रांस के शहर लियॉन में शाम के समय जब एक पादरी चर्च को बंद कर रहा था तो एक मुस्लिम युवक ने उसे दो बार गोली मारी जिससे वह घायल हो गया। इस घटना के बाद सारे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और प्रधानमंत्री का

विदेश दौरा रद्द कर दिया गया। वे यात्रा को अधूरा छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए।

अब इस्लामिक आतंकवाद ने फ्रांस के बाहर भी अपने कदम फैलाने शुरू कर दिए हैं। ताजा घटना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई है जब बंदूकधारियों ने नगर में सात स्थानों पर अंधाधुंध गोली चलाकर कम-से-कम सात निर्दोषों को गोली से उड़ा दिया। समाचारपत्रों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के कारण सरकार ने पुनः लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी इसलिए लोग भारी संख्या में पार्कों और मॉल्स आदि में जमा थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबस्टियन कुर्ज ने बताया कि हमारी पुलिस एक हमलावर को ढेर करने में सफल रही है। आक्रमणकारियों ने सात जगह गोली चलाई थी। ऑस्ट्रिया के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में कई बंदूकधारी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। एक हमला यहूदियों के उपासना स्थल पर भी किया गया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हुए हमले के बाद ब्रिटेन आदि अनेक देशों ने आपातकाल की घोषणा की है और हाई अलर्ट जारी किया है।

मीडिया के अनुसार बंदूकधारियों ने यहूदी उपासना स्थल के समीप सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया। पुलिस के अनुसार कम-से-कम 100 गोलियां चलाई गई हैं। बताया जाता है कि कुछ लोग जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो आक्रमणकारियों ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए उन पर चुन-चुनकर गोलियां चलाईं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि अब यह आतंकवाद हमारे मित्र देश तक भी फैल गया है। हम लोग आतंकवादियों के आगे नहीं झुकेंगे और उनको समाप्त करके ही दम लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इस तरह के हमलों को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। अमेरिका ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप के देशों के साथ इस्लामिक आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए छेड़ी गई लड़ाई में उनके साथ खड़ा है।

पृष्ठभूमिः पिछले एक दशक में यूरोप में शरण लेने के इच्छुक शरणार्थियों की बाढ़ लगी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक इस्लामिक देश जिनमें सीरिया, इराक, चेचन्या और अफ्रीका के अनेक देश शामिल हैं गृह युद्ध के शिकार हैं। इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर यूरोप में शरण ले रहे हैं। इस समय यूरोपीय संघ के 28 देशों में ढ़ाई करोड़ मुसलमान शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।

जहां तक यूरोप में रहने वाले मुसलमानों का संबंध है उन्हें छह श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

(1) मूल मुसलमान जो शताब्दियों से यूरोप में रह रहे हैं। इनमें बोस्निया, अल्बानिया, क्रोएशियो, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हैं। इनके अतिरिक्त क्रीमिया और पोलैंड में भी तातार मूल के मुसलमान रह रहे हैं।

(2) छात्र और व्यापारी जो कि मुस्लिम देशों से शिक्षा और व्यापार के लिए आते हैं। फ्रांस में ही ऐसे छात्रों की संख्या 70 हजार से भी अधिक बताई जाती है जो कि उत्तरी अफ्रीका के देशों के हैं और लाखों की संख्या में ये लंदन में भी रह रहे हैं।

(3) मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है जिनके कुछ देशों में प्रवेश पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। इनमें कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक, फ्रांस में रहने वाले अल्जीरियाई नागरिक और हॉलैंड में रहने वाले इंडोनेशियाई मुस्लिम शामिल हैं।

(4) ऐसे मुसलमान जो पश्चिमी यूरोप में 50 और 60 के दशक में मजदूर के रूप में आए थे।

(5) ऐसे लोग जो यूरोप में रहने वाले विभिन्न समुदायों से हैं लेकिन इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं।

(6) गत कुछ वर्षों में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि में गृह युद्ध के कारण दस लाख से अधिक मुस्लिम शरणार्थी यूरोप के विभिन्न देशों में शरण लिए हुए हैं।

फ्रांस में 2001 में मुस्लिम आबादी का अनुपात सिर्फ छह प्रतिशत था जो अब बढ़कर लगभग 9 से 10 प्रतिशत हो गया है। लगभग 20 लाख मुसलमान ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से यूरोप में दाखिल हुए थे और अभी तक उन्हें किसी देश ने अपनी नागरिकता प्रदान नहीं की है। मोटे तौर पर 2001 में यूरोप में मुसलमानों की जनसंख्या जो एक प्रतिशत थी अब बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण स्थाई निवासी जो मुख्यत: ईसाई हैं उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। एक अमेरिकी अनुसंधान संस्थान ने यह भविष्यवाणी की है कि 2050 में यूरोप में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 25-30 प्रतिशत के बीच पहुंच जाएगी। जबकि ईसाईयों की आबादी घटकर 50-60 प्रतिशत तक ही रह जाएगी। यही कारण है कि यूरोप के विभिन्न देशों में अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यूरोप में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए? यही कारण है कि अब यूरोप के कम-से-कम एक दर्जन देश ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं जिनके द्वारा वे उन देशों में रहने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को वापस उनके मूल देशों में भेज सकें। गत एक दशक में यूरोप में रहने वाले मुसलमानों में आतंकवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस कारण उनमें अलकायदा, सवाब, बोको हराम, आईएसआईएस, हमास, अल फतह जैसे अतिवादी इस्लामिक संगठनों की घुसपैठ बढ़ी है। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन यूरोप में मुस्लिम आतंकवाद बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में फ्रांस और ऑस्ट्रिया में जो आतंकवादी घटना हुई हैं वह इसी का गम्भीर संकेत है।

बांग्लादेश में बलात्कारी को मौत की सजा

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने देश में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए देश के कानून में संशोधन करके बलात्कार के आरोपियों को मौत की सजा देने का कानून लागू कर दिया है। यह फैसला बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने अपनी एक विशेष बैठक में किया था। इस संबंध में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने अगले ही दिन एक अध्यादेश भी जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने महिला एवं बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके हर बलात्कारी को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि बांग्लादेश में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं के खिलाफ हाल ही में देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान हालांकि इन प्रदर्शनों में कमी आई थी मगर लॉकडाउन खत्म होते ही राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया था। इन प्रदर्शनों में सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि क्योंकि बलात्कारियों का संबंध सत्तारूढ़ दल से है इसलिए सरकार उनके साथ नरम व्यवहार कर रही है। हाल ही में एक महिला को जब वह कॉलेज से बाहर निकल रही थी सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित छात्र संगठन से जुड़े कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार नया कानून पारित होते ही पांच बलात्कारियों को ढाका जेल में फांसी पर लटका दिया गया है। समाचारपत्र के अनुसार इनलोगों ने 2012 में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। इन्हें मौत की सजा देने का फैसला एक विशेष न्याय अधिकरण ने किया था।

इत्तेमाद ने 14 अक्टूबर के सम्पादकीय में बांग्लादेश सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि बांग्लादेश में बलात्कार की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही थी। इसी वर्ष के पहले आठ महीनों में वहां पर बलात्कार की 1000 से अधिक घटनाओं को रिपोर्ट किया गया जिनमें से 20 प्रतिशत सामूहिक बलात्कार की घटनाएं थी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक ग्रुप को एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए दिखाया गया था। समाचारपत्र ने कहा है कि विश्व के अधिकांश देशों में क्योंकि मौत की सजा को खत्म कर दिया गया है इसलिए अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। मगर कुछ देशों में अब भी मौत की सजा का सख्त कानून मौजूद है।

चीन में बलात्कारी को मौत की सजा देने का प्रावधान है। जबकि ईरान में बलात्कारी को चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाता है। नीदरलैंड में बलात्कारी को चार वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की कैद दी जा सकती है। जबकि उत्तर कोरिया में बलात्कारी को फोरन गोली मार दी जाती है। अफगानिस्तान में भी बलात्कारी को कानून के तहत मौत की सजा देने का प्रावधान है। सऊदी अरब में भी बलात्कारी को जुमा की नमाज के बाद चौराहे पर या तो फांसी पर

लटका दिया जाता है या तलवार से उसका सिर उड़ा दिया जाता है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं एक देश तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि यह प्रवृत्ति दुनिया भर में फैली हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि कड़े कानूनों को लागू किया जाए ताकि बढ़ते हुए अपराधों पर काबू पाया जा सके।

काबुल विश्वविद्यालय में आतंकवादी हमला

इंकलाब (3 नवम्बर) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के विश्वविद्यालय में ईरानी पुस्तक मेले के उद्घाटन के समय हुए बम धमाकों में कम-से-कम 25 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। मरने वालों में काबुल विश्वविद्यालय के तीन कर्मचारी भी शामिल हैं। तीन आक्रमणकारियों में से एक आत्मघाती आक्रमणकारी ने स्वयं को बम से उड़ा लिया। जबकि दो अन्य आक्रमणकारी गिरफ्तार किए गए हैं। आक्रमणकारियों और सैनिकों के बीच काफी देर तक गोलीबारी चलती रही। तालिबान ने कहा है कि इस आतंकवादी घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। अफगान गृह मंत्रालय के अनुसार यह धमाका आईएसआईएस द्वारा किया गया है। अभी तक 50 से अधिक लोग अस्पताल में दाखिल किए गए हैं। इस हमले की जिम्मेवारी आईएसआईएस ने ली है। इससे पहले भी 2018 में इसी आतंकवादी संगठन के हमले में चार दर्जन लोग मारे गए थे। इस आत्मघाती हमले को एक लड़की ने अंजाम दिया था जो मौके पर ही मारी गई। 2016 में भी काबुल की अमेरिकी विश्वविद्यालय पर भी आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार काबुल में एक कॉलेज के बाहर हुए एक आत्मघाती हमले में कम-से-कम आठ व्यक्ति मौके पर मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। यह हमला जिस केन्द्र पर हुआ वहां पर स्नातकोत्तर की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र में अधिकांश शिया छात्र ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन ने कहा कि आत्मघाती आक्रमणकारी जब इस शिक्षा केन्द्र में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोका जिस पर उन्होंने अपने जैकेट में भरे हुए विस्फोटक पदार्थ से स्वयं को उड़ा लिया। इस धमाके में कम-से-कम 18 लोग मारे गए तथा 50 से अधिक घायल हो गए। एक अन्य समाचार के अनुसार अफगानिस्तान के पश्चिमी सूबे नंगरहार में सैनिकों और तालिबान के बीच हुए मुठभेड़ों में 33 तालिबान आतंकवादी मारे गए और 5 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए। सेना ने तालिबानी आतंकवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र बरामद किए हैं जो अमेरिका में बने हुए हैं।

तुर्की में विद्रोही सैनिक गिरफ्तार

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (14 अक्टूबर) के अनुसार तुर्की रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि तुर्की के विद्रोदी नेता फतहुल्लाह गुलेन से संबंधित सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 167 सैनिक भी हैं। बताया जाता है कि इन विरोधियों की योजना तुर्की के कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या करने की थी। ज्ञातव्य है कि एर्दोगान के राजनीतिक विरोधी और धार्मिक विद्वान फतहुल्लाह गुलेन के समर्थकों ने चार वर्ष पूर्व सरकार की तख्ता पलटने का प्रयास किया था जिसमें असफल रहने पर गुलेन भागकर अमेरिका चला गया था और उसके दस हजार से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से सैकड़ों लोगों को मौत की सजा दी गई। सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि क्रांति के इस असफल विद्रोह में कम-से-कम 300 लोग मारे गए थे। हाल ही में गुप्तचर सूत्रों को इस बात की जानकारी मिली थी कि गुलेन के समर्थक अनेक प्रमुख व्यक्तियों की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद गुप्तचर विभाग और पुलिस ने विद्रोहियों की गिरफ्तारियों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया था जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों के पकड़े जाने की सूचना है। जो सैनिक पकड़े गए हैं उनमें एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका संबंध थल सेना और वायु सेना से है। अभी 57 सैनिक फरार बताए जाते हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।

पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ 11 विपक्षी दलों का मोर्चा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (21 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। 11 विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया है। अब तक कराची, क्वेटा और लाहौर में विपक्षी दल सफल रैलियों का आयोजन कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर यह आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और वे पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों के सहयोग से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सोहेल वराइच के अनुसार पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है। नवाज शरीफ अब सेना को अपना निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे यह समझते हैं कि सेना जानबूझकर विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रही है।

एक अन्य विश्लेषक हसन असगरी का कहना है कि सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इसलिए झूठे आरोपों में मुकदमें चला रही है ताकि जनता की समस्याओं की ओर से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसके कारण कभी भी पाकिस्तान में विस्फोट हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र हित में सभी पक्ष टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय तालमेल और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलें।

पश्चिम एशिया

फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक जगत को एकजुट करने के प्रयासों को झटका

विश्व के मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बनाने का जो प्रयास चल रहा था उसको अब गहरा झटका लगा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आईएसआईएस द्वारा आतंकी हमला होने के बाद अरब देशों द्वारा पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा बनाने का जो प्रयास चल रहा था उसको झटका लगा है।

गल्फ न्यूज (4 नवंबर) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की और हाल में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की। इन हमलों में मरने वालों या घायल होने वालों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए घायल पादरी के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में फ्रांस का सहयोग करेंगे। कार्टून विवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपियों के खिलाफ फ्रांस को अपने कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है। जिन शरणार्थियों को फ्रांस का कानून और वहां की संस्कृति अच्छी नहीं लगती अगर फ्रांस ऐसे लोगों को वापस उनके देश भेजने का कानून बनाता है तो संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस का साथ देगा। यहां पर उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हाल

ही में इजरायल को मान्यता दी है और उसे अमेरिका का समर्थक माना जाता है।

इससे पूर्व **मुंबई उर्दू न्यूज** ने 27 अक्टूबर के अंक में यह दावा किया था कि इस्लामिक जगत के एकजुट हो जाने के कारण फ्रांस के होश ठिकाने आ गए हैं और मुस्लिम देशों ने फ्रांस के उत्पादनों का बहिष्कार करने और उससे किसी भी प्रकार का संबंध न रखने की जो घोषणा की है उसके कारण फ्रांस के रूख में नरमी आई है। इसी समाचार में यह भी दावा किया गया है कि कुवैत के दुकानदारों ने फ्रांस की बनी हुई किसी भी वस्तु की बिक्री करने से इनकार कर दिया है। कुवैत के विभिन्न मॉल्स की यूनियन ने एक परिपत्र जारी करके सभी मॉल्स को यह निर्देश दिया है कि वे फ्रांस में बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करें। इस यूनियन के 700 से अधिक मॉल्स सदस्य हैं। यूनियन के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया कि यह फैसला उन्होंने फ्रांस में पैगम्बर-ए-इस्लाम के अपमान के जवाब में किया है। इसी दौरान कुवैत के विदेश मंत्री ने फ्रांसीसी राजदूत से भेंट की और फ्रांस के रूख की निंदा करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध खत्म हो सकते हैं। कुवैत ने फ्रांस से 75.5 करोड़ दीनार का माल मंगवाया था जो कि वह अब वापस कर रहा है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उग्रवादी इस्लामिक संगठन फ्रांस के बहिष्कार का झूठा प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह घोषणा की है कि पाकिस्तान फ्रांस से अपना राजदूत वापस बुला रहा है। पाकिस्तान राष्ट्रीय एसेंबली की बैठक में फ्रांस के इस्लाम विरोधी रूख की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि हम पूरी तरह से तुर्की के साथ हैं और इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ एकजुट हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 अक्टूबर) ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब ने भी फ्रांस द्वारा इस्लाम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में किसी भी देश को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों का उत्पीड़न करने की अनुमति हरगिज नहीं दी जा सकती और इस प्रवृत्ति का हम डटकर मुकाबला करेंगे। तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने आरोप लगाया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आतंकवाद को हवा दे रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में वे पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं।

बगदाद में भी फ्रांस के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बाजार में फ्रांस के बनी हुई वस्तुओं की होली जलाई गई। सरकार से यह मांग की गई कि वह तुरंत फ्रांस से सभी तरह के संबंध विच्छेद करने की घोषणा करे। ट्यूनीशिया में भी फ्रांस विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया और फिलिस्तीन के सभी बाजारों से फ्रांस में बनी वस्तुओं को हटा दिया गया है और व्यापारियों ने यह घोषणा की है कि वे भविष्य में फ्रांस की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आरोप लगाया है कि यूरोप में

मुसलमानों के साथ वही व्यवहार हो रहा है जो कि कभी जर्मनी में यहूदियों के साथ किया गया था। यूरोप के अधिकांश देशों में इस्लाम विरोधी अभियान चल रहा है और वे इस्लाम का नामोंनिशान मिटाना चाहते हैं। मगर हम उन्हें इसमें कभी सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी दबाव में आकर फ्रांस की इस्लाम विरोधी नीतियों को स्वीकार नहीं कर सकते।

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार ढाका में फ्रांस के खिलाफ लाखों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रांस के दूतावास को आग लगाने का भी प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की सरकार से मांग की कि वह फ्रांस के साथ संबंध विच्छेद करने की घोषणा करे। ढाका टाइम्स के अनुसार प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और उन्होंने कुछ मंदिरों और हिन्दुओं की दुकानों को अपना निशाना बनाया। हिन्दुओं के कई मकानों और दुकानों को लूटे जाने और उनमें आग लगाए जाने की भी सूचना है। बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के इलाके में अर्द्धसैनिक दस्ते तैनात किए हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने एक बयान में कहा है कि मुसलमानों को फ्रांसीसी लोगों का कत्ल करने का अधिकार है।

दैनिक सियासत (30 अक्टूबर) के अनुसार महातिर मोहम्मद ने कहा है कि पैगम्बर-ए-इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले अध्यापक की हत्या इस्लाम के अनुसार थी। क्योंकि इस्लाम में पैगम्बर का अपमान करने वाले की हत्या करने का आदेश दिया गया है। इसलिए जिस छात्र ने इस अध्यापक की हत्या की उसने शरा और सुन्नत के अनुसार ही काम किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेब्दो पैगम्बर के कार्टून को प्रकाशित करके मुसलमानों को हिंसा के लिए भड़का रही है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी के कारण कार्टून बनाने पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि दुनिया की किसी भी ताकत को पैगम्बर की तौहीन करने का कोई हक नहीं है। जो पैगम्बर की तौहीन करता है उसका कत्ल करना इस्लाम के अनुसार जायज है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 नवम्बर) के अनुसार लेबनान की शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरूल्लाह ने फ्रांस को धमकी दी है कि वह पैगम्बर के अपमानजनक कार्टूनों के बनाए जाने का समर्थन करना बंद कर दे वरना उसे सारी दुनिया का मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को पैगम्बर-ए-इस्लाम की तौहीन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हसन नसरूल्लाह ने कहा है कि फ्रांस जानबूझकर मुसलमानों को जंग के मैदान में घसीट रहा है। हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे।

सियासत (30 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी सरकार ने फ्रांस और तुर्की में बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इससे सिर्फ अमेरिका के ही दुश्मनों को लाभ पहुंचेगा। अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाने का भी इशारा किया है।

सालार (31 अक्टूबर) के अनुसार जापान में भी मुसलमानों ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अपील की है कि वह मुस्लिम विरोधी रूख को बंद करे।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मिलाद उन-नबी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि फ्रांस का रवैया इस्लाम विरोधी है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों को भारी कष्ट पहुंचा है। हम अपने पैगम्बर का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (30 अक्टूबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पैगम्बर-ए-इस्लाम के कार्टूनों के बाद उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की है और सभी देशों से अपील की है कि वे हिंसा को रोकने का प्रयास करें।

इंकलाब (1 नवम्बर) ने यह दावा किया है कि फ्रांसीसी जनता में क्योंकि राष्ट्रपति मैक्रों का प्रभाव कम हो रहा है इसलिए वे मुस्लिम विरोधी नीतियों द्वारा पुनः लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले महीने मैक्रों ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि इस्लाम संकट में है और वे उसे विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति अध्यापक की हत्या का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं और वे मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।

इंकलाब (29 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लाम और पैगम्बर की तौहीन को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि यूरोप और फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ जो जनभावना भड़काई जा रही है उसका लक्ष्य इस्लाम के खिलाफ ईसाई देशों के जिहाद को पुनः शुरू करना है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर का सम्मान करना हमारा अधिकार है और हम उससे किसी कीमत पर अलग नहीं हो सकते। यूरोपीय कमीशन ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर उसने फ्रांस के खिलाफ अपने रूख में परिवर्तन नहीं किया तो उसे यूरोपीय संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 1987 में तुर्की ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की मांग की थी। मगर सदस्यों के विरोध के कारण अभी तक यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ में शामिल न होने से तुर्की को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (31 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फ्रांस में इस्लामिक आतंकवादियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इनको रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन और सहानुभूति फ्रांसीसी जनता के साथ है। फ्रांस क्या कोई भी देश इस तरह की आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी फ्रांस का समर्थन किया है।

बहरीन के साथ इजरायल के राजनयिक संबंध

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 अक्टूबर) के अनुसार बहरीन की राजधानी मनामा में बहरीन सरकार का इजरायल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है जिसमें बहरीन ने इजरायल को विधिवत मान्यता देने की घोषणा की है और उससे राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। बहरीन इजरायल को मान्यता देने वाला चौथा अरब देश है। ज्ञातव्य है कि जब से इजरायल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया है तभी से अरब देशों ने उसका बहिष्कार कर रखा था। उनका जोर इस बात पर था कि इजरायल से तभी संबंध स्थापित किए जाएंगे जब फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहरीन से पूर्व संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर रखे हैं। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बहरीन द्वारा इजरायल को मान्यता देने की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बहरीन का अरबों की पेट में छूरा घोंपने जैसा है।

मनामा में हुए एक समारोह में इजरायल और बहरीन की ओर से एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानी में अपने दूतावास खोलने की घोषणा की है। बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल-जियानी ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों के नए दौर की शुरुआत है। खास बात यह है कि इजरायल की उच्चस्तरीय टीम एक विशेष विमान द्वारा सऊदी अरब के उपर से गुजरी और सऊदी सरकार ने उसे इसकी विशेष रूप से अनुमति दी। अब राजनीति के इस नए मोड़ के कारण ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है उसे नया मोड़ मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दोनों सऊदी अरब ब्लॉक के सदस्य हैं।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (19 अक्टूबर) के अनुसार इस समझौते के पीछे अमेरिका का हाथ है और इससे पहले व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत हुई थी। खास बात यह है कि इजरायल का जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए मनामा गया उसमें अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन मनुचीन भी शामिल थे। इजरायल ने कहा है कि बहरीन के साथ रक्षा क्षेत्र में भी इजरायल सहयोग देगा और दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बढ़ेगा। इससे पूर्व इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद का एक प्रतिनिधिमंडल भी बहरीन में आया था और उन्होंने सुरक्षा संबंधों के बारे में उच्चस्तरीय बातचीत की थी।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने 20 अक्टूबर के अंक में एक विशेष संपादकीय में इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि अरब देशों की एकता छिन्न-भिन्न हो रही है। 1967 के युद्ध के दौरान ही यह बात सिद्ध हो गई थी कि अरब देशों के पास सिर्फ बयानबाजी करने वाले नेता हैं और उन्हें अपने देश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। इस बात का सबूत इराक युद्ध तथा लीबिया और अन्य अरब देशों की घटनाओं से मिलता है। कभी तेल अरब देशों की ताकत हुआ करता था मगर अब तेल के उत्पादन के मामले

में सऊदी अरब जैसा देश अमेरिका और रूस से पिछड़ चुका है और यह बात नजर आने लगी है कि तेल का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अरब देश अब भी जागरूक हों और वे एक बड़े ग्रुप के रूप में उभरें। उन्हें अब अमेरिका का दामन छोड़ने पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में इजरायल समर्थक लॉबी काफी सशक्त है और अमेरिका इजरायल को निराश करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमेरिका और इजरायल दोनों ही मस्जिद अल-अक्सा और फिलिस्तीनियों के कल्याण की नौटंकी कर सकते हैं। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि अरब देशों की नीति शुरू से ही गलत रही है। अरब देशों के नेता अपने देशों को सुदृढ़ बनाने में विफल रहे हैं। जबकि इजरायलियों ने अपने राष्ट्र को सशक्त बनाया है।

इंकलाब (16 अक्टूबर) ने एक चार कॉलम का समाचार प्रकाशित किया है जिसमें

यह कहा गया है कि अमेरिका सऊदी अरब पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वह इजरायल को मान्यता दे। इससे अन्य अरब देशों को भी इजरायल के साथ संबंध बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार अरब देशों द्वारा इजरायल को मान्यता देने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की स्थिति आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में मजबूत हुई है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिका ने सऊदी अरब को आठ अरब डॉलर के अस्त्र-शस्त्र बेचने की भी घोषणा की है।

कतर को अमेरिकी जहाज बेचने का विरोध

सियासत (13 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने इस बात की घोषणा की है कि अगर अमेरिका एफ-35 युद्ध विमान कतर को बेचता है तो इजरायल इसका विरोध करेगा क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। ज्ञातव्य है कि कतर ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि उसे अपनी रक्षा के लिए आधुनिकतम एफ 35 युद्ध विमान उपलब्ध करवाए जाएं। इजरायल के मंत्री एली कोहेन ने कहा कि हमारे लिए अपनी सुरक्षा और सैनिक वर्चस्व महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष अमेरिका का कतर के साथ जो समझौता हुआ था उसके अनुसार कतर ने अमेरिका से यह विमान खरीदने के बारे में समझौता किया था।

इजरायल और इस्लामिक आतंकवादी संगठन के बीच समझौता

मुंबई उर्दू न्यूज (14 अक्टूबर) के अनुसार इजरायल ने घोषणा की है कि गाजा पट्टी की सीमा पर युद्ध विराम के बारे में उसने फिलिस्तीनी जिहादी संगठन हमास के साथ समझौता कर लिया है। इजरायल ने इस समझौते का विवरण बताने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि यह समझौता इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के प्रमुख के दोहा दौरे के बाद हुआ है। कहा जाता है कि कतर ने इस समझौते में विशेष रूप से भूमिका निभाई है। संयुक्त अरब अमीरात इजरायल को पहले ही मान्यता प्रदान कर चुका है। इजरायली गुप्तचर एजेंसी मोसाद की रिपोर्ट के अनुसार कतर ने हमास को दस करोड़ डॉलर अदा किए हैं। जिसके बाद हमास और इजरायल के बीच गुप्त समझौता हुआ है।

इस समझौते के प्रयास अगस्त महीने में शुरू किए गए थे और दोहा में हमास के अधिकारियों ने इजरायल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद के साथ अनेक गुप्त मुलाकातें की थी। गाजा में हमास के प्रमुख ने यह स्वीकार किया है कि हमास ने इजरायल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया है जिसकी रूप रेखा कतर की वार्ता के दौरान तैयार की गई थी। इजरायल ने यह घोषणा की है कि वह गाजा की पट्टी पर लगाई गई सभी पाबंदियों को हटा रहा है। इसके बावजूद हमास ने इजरायल की ओर एक रॉकेट दागा था जिसके जवाब में इजरायली फौज ने भी हमास के एक फौजी ठिकाने को भी अपना निशाना बनाया था।

उमरा की शुरुआत

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (28 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने उमरा और मस्जिद अल-हरम की यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाए थे उसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। उमरा का तीसरा चरण वृद्धों और विदेशियों के लिए खोल दिया गया है। इनके रहने के लिए मक्का के 1800 होटलों में ढाई लाख कमरों की व्यवस्था की गई है। उमरा के लिए आने वाले लोगों के लिए इन तीन, चार और पांच सितारा होटलों के कमरों में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और उनसे निर्धारित किराया वसूल कराया जाएगा जिसके तहत तीन वक्त का खाना भी इन्हीं होटलों में उपलब्ध कराया जाएगा। विदेशी श्रद्धालु तीन दिन तक सऊदी अरब में ठहर सकेंगे। इन श्रद्धालुओं को विभिन्न ग्रुपों में बांटा जाएगा और हर ग्रुप का इंचार्ज एक स्थानीय उच्चाधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न अस्पतालों और होटलों के कोरोना के संदिग्ध रोगियों के लिए दस प्रतिशत कमरे भी सुरक्षित किए गए हैं। उनकी देखभाल के लिए विशेष मेडिकल स्टाफ नियुक्त किया जा रहा है। होटल के किसी कमरे में दो से अधिक

व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी और यात्रियों को भी दो मीटर की दूरी के नियम का पालन करना होगा। अगर कोई परिवार उमरा के लिए आया होगा तो उसके सभी सदस्यों को अलग-अलग कमरों में ठहराया जाएगा। जो लोग कोरोना से प्रभावित पाए जाएंगे उन्हें उमरा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। होटलों में बाहर से खाने-पीने की वस्तु लाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक होटल में 30 से 40 प्रतिशत कमरों में ही श्रद्धालुओं को ठहरने की अनुमति होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 अक्टूबर) के अनुसार उमरा के दूसरे चरण में सऊदी अरब के ढाई हजार व्यक्तियों को उमरा करने की अनुमति दी गई थी। इनमें युवकों के अतिरिक्त वृद्ध व्यक्ति भी शामिल होंगे। 18 अक्टूबर से शुरू हुए उमरा के दूसरे चरण में कुल छह लाख सऊदी नागरिकों ने विभिन्न मस्जिदों में छोटे-छोटे ग्रुपों में नमाज अदा की। इसके अतिरिक्त मस्जिद नबवी और हजरत मोहम्मद साहब के मजार का पुराना हिस्सा भी जियारत के लिए खोल दिया गया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब के शासक सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यह आशा व्यक्त की है कि कोरोना महामारी के कारण सऊदी अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा है उसकी पूर्ति शीघ्र ही हो जाएगी। विदेशी पूंजी निवेश विभाग के सऊदी मंत्री खालिद अल-फालिह ने यह आशा व्यक्त की है कि जी 20 ग्रुप के देश सऊदी अरब के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हाल ही में इस ग्रुप के देशों ने 21 अरब डॉलर का पूंजी निवेश सऊदी अरब में किया है। अधिकांश पूंजी निवेश चिकित्सा क्षेत्र में किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस ग्रुप के देश अब तक 110 खरब डॉलर उपलब्ध करवा चुके हैं। गरीब देशों से 14 अरब डॉलर की वसूली को स्थगित कर दिया गया है।

ईरान–सऊदी विवाद

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (28 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब के सुरक्षा प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने यमन से सऊदी अरब में तबाही मचाने के लिए जो ड्रोन भेजे थे उन्हें सऊदी एयर सुरक्षा व्यवस्था ने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के इशारे पर हूती विद्रोही सऊदी अरब के ठिकानों को बम वाहक ड्रोन और मिसाइल से निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरब एकता की सेनाएं उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर अरब देशों में विघटन पैदा कर रहा है। ईरान का लक्ष्य अरब देशों में अस्थिरता पैदा करना और उनके विकास की गति को अवरूद्ध करना है।

अन्य

मंदिर में नमाज पढ़ने वाले गिरफ्तार

इंकलाब (3 नवम्बर) के अनुसार मथुरा के नंद बाबा मंदिर में सद्भावना के रूप में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में चार व्यक्ति आए और उनमें से दो व्यक्तियों ने मंदिर के प्रबंधकों को गुमराह करके वहां नमाज अदा की। इस मामले में बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें वायरल होने से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। दूसरी ओर फैजल खान ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने धोखे से नमाज पढ़ी। वहां कई लोग मौजूद थे। किसी ने उन्हें नमाज पढ़ने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण यह मामला उछाला जा रहा है।

समाचारपत्र के अनुसार मथुरा के नंद बाबा मंदिर में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन से संबंधित चार व्यक्ति सद्भावना को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य से आए थे। इनमें दो हिन्दू और दो मुसलमान थे। इनमें से मुसलमानों ने गीता और भगवान कृष्ण से संबंधित अपनी जानकारी की भी अभिव्यक्ति की, जिससे मंदिर के प्रबंधक और अन्य लोग काफी प्रभावित हुए और उनको दोपहर का खाना खाने की दावत दी। मगर दोनों मुसलमानों ने कहा कि नहीं हमारे नमाज का समय हो रहा है। हम पहले कहीं जाकर नमाज पढ़ेंगे। इस पर कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि वे मंदिर परिसर में नमाज अदा कर लें। जब कुछ साम्प्रदायिक तत्वों ने इस मामले को सोशल मीडिया में उछाला तो इस सिलसिले में एक

मुकदमा दर्ज किया गया। बरसाना के थाना इंचार्ज आजाद पाल सिंह का कहना है कि इस घटना की जानकारी जब आम लोगों को मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। इस पर मंदिर के सेवक कन्हैया गोस्वामी ने फैजल खान, मोहम्मद चांद, निलेश और आलोक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

हिन्दू युवक ने इस्लामिक स्टडी में मैदान मारा

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (1 नवंबर) के अनुसार कश्मीर की केन्द्रीय विश्वविद्यालय की इस्लामी शिक्षा विभाग की प्रवेश परीक्षा में एक हिन्दू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शुभम यादव नामक इस हिन्दू छात्र ने एम.ए. इस्लामिक स्टडी की प्रवेश परीक्षा में 73 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जबकि दूसरे नम्बर पर आने वाले मुस्लिम उम्मीदवार को मात्र 51 प्रतिशत अंक ही प्राप्त हुए। इस विश्वविद्यालय में इस्लामिक अध्ययन विभाग में प्रवेश के लिए 54 छात्रों का चयन किया गया है जिसमें से शुभम यादव एक मात्र गैर मुसलमान हैं। इस्लामिक अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रो. हमीदुल्लाह मुजाहिरी का कहना है कि इससे पहले भी इस्लामिक अध्ययन विभाग में कई हिन्दू छात्र अध्ययन करते रहे हैं। मगर यह पहली बार हुआ है कि किसी हिन्दू ने परीक्षा में सभी मुस्लिम उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हों। कश्मीर की केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार के अधीन है और यहां पर प्रवेश की परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर होती है। शुभम यादव गैर कश्मीरी हैं और उनका संबंध उत्तर प्रदेश से बताया जाता है।

वक्फ बोर्ड के अरबों रुपये के प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास

इंकलाब (25 अक्टूबर) के अनुसार बस्ती हजरत निजामुद्दीन में अरबों रुपये के मूल्य के एक भूखंड पर पुरातत्व विभाग और आगा खां फाउंडेशन द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। समाचारपत्र के अनुसार जब वक्फ बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो आगा खान फाउंडेशन के परियोजना निदेशक वक्फ प्लॉट के चारों तरफ खुदाई करवा रहे थे। इस पर वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हसन जमाल और उनके सहयोगियों ने आपत्ति की और मौके पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पुरातत्व विभाग और आगा खान फाउंडेशन से इस प्लॉट से संबंधित मिल्कियत की दस्तावेजें मांगी है जो वे पेश नहीं कर सके। वक्फ बोर्ड की ओर से इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत की गई है।

वक्फ बोर्ड के अनुसार निजामुद्दीन बस्ती में न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल के बगल में वक्फ बोर्ड की अरबों रुपये मूल्य की भूमि है जिसका खसरा नम्बर 523 है और दिल्ली सरकार के गजट के अनुसार यह वक्फ संपत्ति है जो कि

वर्षों से खाली पड़ी हुई है। यह भूमि 1600 वर्ग गज की है जिसका इस समय मूल्य 600 करोड़ से अधिक बताया जाता है। इस भूमि पर वर्षों से भू-माफिया की नजर लगी हुई है। सबसे पहले 13 अक्टूबर को इस वक्फ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास पुरातत्व विभाग ने किया था जिस पर वक्फ बोर्ड ने वहां जाकर अपना बोर्ड लगा दिया था मगर बाद में इस बोर्ड को कुछ लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया। वक्फ बोर्ड ने जब इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने रपट दर्ज करने से इनकार कर दिया। मगर बाद में प्रशासन के दबाव के कारण पुलिस ने रपट दर्ज कर ली। वक्फ बोर्ड को इस बात की आशंका है कि इस प्लॉट पर पुरातत्व विभाग कब्जा करने की कोशिश करेगा। ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, होटल ओबरॉय और अनेक सरकारी इमारतें वक्फ की जमीन पर बनी हुई हैं।

दिल्ली दंगों के आरोपियों को जमीयत–ए–उलेमा द्वारा बचाने का अभियान

इंकलाब (22 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों के आरोपियों को जमीयत-ए-उलेमा द्वारा कानून के चंगुल से बचाने का अभियान जोरों से जारी है। अब तक 16 से अधिक आरोपी जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री महमूद मदनी के अनुसार पुलिस ने साम्प्रदायिक ताकतों के दबाव के कारण निर्दोष और गरीब मुसलमानों को दंगों से संबंधित मुकदमों में फंसाया है। इसलिए जमीयत-ए-उलेमा उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी जमानतों की भी व्यवस्था कर रही है। क्योंकि उनकी जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं है और उनके परिवारजनों के पास इतनी धनराशि नहीं है कि वे जमानतों की व्यवस्था कर सकें। हाल ही में एक आरोपी नूर मोहम्मद को आठ जमानतें देकर रिहा करवाया गया है। इसके खिलाफ पुलिस ने 14 मुकदमें दर्ज कर

रखे हैं। इसे जमानत पर रिहा करने के लिए 1,80,000 रुपये की एफडी न्यायालय में जमा करवाई गई है। नूर मोहम्मद पिछले सात महीनों से जेल में बंद था। जमीयत के दूसरे गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि उनके संगठन द्वारा अब तक 16 आरोपियों की जमानतें करवाने में सफलता मिली है। इन आरोपियों में सादाब अहमद, राशिद सैफी, शाह आलम, मोहम्मद आबिद आदि शामिल हैं।

ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व जमीयत-ए-उलेमा की ओर से आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए आरोपियों को भी मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए गत एक दशक से लीगल एड कमेटी काम कर रही है जिसके संयोजक गुलजार आजमी हैं। गुलजार आजमी ने कहा कि जमीयत के प्रयासों से अब तक 100 के लगभग आतंकवादी न्यायालयों द्वारा रिहा किए जा चुके हैं। जमीयत-ए-उलेमा के वकीलों ने उनके मुकदमों को सही ढंग से लड़ा जिसके कारण पुलिस उनके खिलाफ न्यायालयों में कोई भी आरोप सिद्ध करने में विफल रही। उन्होंने शिकायत की कि पुलिस अधिकारियों का रवैया साम्प्रदायिक दृष्टि से द्वेषपूर्ण होता है और वे जानबूझकर बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी किसी निर्दोष को झूठे मुकदमों में फंसाए उससे उसका हर्जाना वसूल किया जाए। ■

झारखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला

इंकलाब (3 नवम्बर) के अनुसार झारखंड के अल्पसंख्यक विभाग में विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों में करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाने का निर्देश दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार झारखंड में बैंक कर्मचारियों, दलालों, स्कूल के प्रबंधकों और सरकारी कर्मचारियों ने एक गिरोह बना रखा है जो कि केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की धनराशि को हड़प रहे हैं। इस केन्द्रीय योजना के अनुसार एक लाख से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था है।

इन छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए हर वर्ष ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। क्योंकि अधिकांश छात्र ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना जानते इसलिए दलाल बैंक स्टाफ के साथ मिलकर छात्रों के नामों पर बैंक खाते खुलवाते हैं और इन छात्रों में आने वाली सभी धनराशि हड़प जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस गिरोह ने फर्जी छात्रों के नाम पर भी करोड़ों रुपये हड़पे हैं। गत वर्ष केन्द्र सरकार ने 61 करोड़ रुपये की धनराशि इन छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार को दी थी। जिसका अधिकांश भाग यह गिरोह हड़प गया है और छात्रों को अभी तक इसमें से एक पाई का भी भुगतान नहीं किया गया है। ■